भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 284
दिनांक 24.07.2024 को उत्तर देने के लिए

खदान के कचरे का पाटन

†284. श्रीमती मालविका देवी:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान अपशिष्ट पाटन को आर्थिक रूप से अधिक अनुकल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है;

(ख) क्या खानों के हस्तांतरण और पट्टे को और अधिक सुचारू बनाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) ऐसे खान प्रचालकों की संख्या का ब्यौरा क्या है जिन्हें सतत खनन पद्धतियों के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है?

उत्तर
कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): केंद्र सरकार ने पर्यावरण और समाज पर प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए खान अपशिष्ट डंपिंग को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 [एमसीडीआर, 2017] के तहत प्रावधान करके उचित कदम उठाए हैं। मौजूदा कानून के अनुसार, उपयोगी खनिज सामग्री के साथ इसके मिश्रण से बचने हेतु खनिकों को अपशिष्ट पदार्थ को गैर-खनिजीकृत खनन पट्टा क्षेत्र पर और भूजल के किसी निम्नीकरण से बचने के लिए अगम्य भूमि पर संग्रहीत करना अनिवार्य है। इसके अलावा, अपशिष्ट चट्टान और अतिभार जैसी सामग्रियों को खान की खुदाई में दूसरी बार भरना आवश्यक है ताकि भूमि को यथासंभव उसके मूल रूप में लाया जा सके।

(ख): एमएमडीआर अधिनियम, 1957 को दिनांक 28.03.2021 से एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2021 के माध्यम से संशोधित किया गया, जिसके तहत खनिज रियायतों के हस्तांतरण पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। इस प्रकार, खानों को पट्टे पर देने और हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है।

(ग): मौजूदा कानून के अनुसार, खनिज संरक्षण और विकास नियम (एमसीडीआर), 2017 के अध्याय-V के अनुसार सभी खनन पट्टाधारकों द्वारा सतत खनन प्रथाओं को अपनाया जाना आवश्यक है, जिसमें वायु प्रदूषण और ध्वनि के प्रति सावधानी, विषाक्त तरल पदार्थ के स्राव की रोकथाम, सतह के धंसने पर नियंत्रण आदि का प्रावधान है।

इसके अलावा, एमसीडीआर, 2017 के नियम 35(4) के अनुसार प्रत्येक खनन पट्टा धारक को खनन कार्य शुरू होने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम तीन स्टार रेटिंग प्राप्त करेगा और उसके बाद वर्ष-दर-वर्ष आधार पर इसे बनाए रखेगा।

पिछले तीन वर्षों में 3 स्टार और उससे अधिक रेटिंग वाली खानों की वर्षवार तथा सम्मानित 5 स्टार रेटिंग वाली खानों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	**3** स्टार और उससे अधिक रेटिंग वाली खानों की संख्या (क)	(क) में से 5 स्तर रेटिंग वाली खानों की संख्या
2020-21	922	40
2021-22	1040	76
2022-23	1129	68

*****